रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254396
CG-DL-E-28052024-254396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2024/ज्येष्ठ 7, 1946
No. 273]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2024/JYAISHTHA 7, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2024

संख्या 02/2024-सीमाशुल्क (सीविडी)

सा.का.नि. 294(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “सक्करीन, अपने सभी रूपों में " (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2925 11 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमाशुल्क (सीविडी), दिनांक 30 अगस्त, 2019, जिसे सा.का.नि. 610(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए ‘काउंटरवेलिंग ड्यूटी’ को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/34/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 मार्च, 2024, जिसे दिनांक 26 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (6) के अनुसार उक्त ‘काउंटरवेलिंग ड्यूटी’ को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 20 और 24 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमाशुल्क (सीविडी), दिनांक 30 अगस्त, 2019, जिसे सा.का.नि. 610(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।" ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/112/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2024

No. 02/2024-Customs (CVD)

G.S.R. 294(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/34/2023-DGTR dated 26th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th March, 2024, has initiated review in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination Of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of countervailing duty on imports of "Saccharin in all its forms" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Item 2925 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2019-Customs (CVD), dated 30th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 30th August, 2019, and has requested for extension of the said countervailing duty in terms of sub-section (6) of section 9 of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 24 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2019-Customs (CVD), dated 30th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 30th August, 2019, namely :-

In the said notification, after paragraph 2 and before the *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the countervailing duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 28th February, 2025, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. CBIC-190354/112/2022-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.28 21:05:52 +05'30'